म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक / नियमन / ऑनलाइन / 476 / 1965   भोपाल, दिनांक 31 / 05 / 2019

प्रति,

भारसाधक / सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
.... म0प्र0 (समस्त)

विषयः—ब्लेक लिस्टेड व्यापारी फर्म के प्रोपराईटर्स / पार्टनर्स / डायरेक्टर्स व नातेदारो को मंडी लायसेंस नही जारी करने के संबंध मे।

म0प्र0 कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 31, 32 की शर्तो के तहत व्यापारी एवं प्रसंस्करणकर्ता को नियमानुसार लायसेंस जारी किया जाता है। जिसकी धारा 32(3) के परन्तुक मे प्रावधानित है कि यदि किसी आवेदक के विरूद्ध मण्डी समिति के शोध्य, जिनके अंतर्गत मध्यप्रदेश निराश्रितो एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 के अधीन शोध्य भी आते है, बकाया है तो अनुज्ञप्ति नवीकृत नही की जाएगी।

प्रायः यह देखने मे आया है कि प्रदेश की कई कृषि उपज मंडियों मे व्यापारी फर्म के ऊपर, पूर्व से विभिन्न प्रकार की बकाया राशि दर्ज रहती है, जिनमें मंडी फीस अथवा दाण्डिक फीस, निराश्रित सहायता राशि, भूमि, गोदाम, शॉप—कम—गोदाम आवंटन राशि अथवा मासिक किराया तथा राशि इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार की वसूली योग्य राशि है।

संबंधित व्यापारी फ़र्म के मंडी लायसेंस के नवीनीकरण के समय नियमानुसार उक्त बकाया की वसूली करने के उपरांत ही लायसेंस नवीनीकरण किया जाना चाहिए, परन्तु अक्सर उक्त बकाया फीस की वसूली किये बिना लायसेंस नवीनीकरण कर दिया जाता है।

उपरोक्त प्रकरण प्रकाश मे आया है कि जिनमें किसी व्यापारी विशेष अथवा फर्म को विभिन्न कारणों से कालीसूची (Blacklist) में दर्ज कर उनका क्रय—विक्रय प्रतिबंधित किया गया है, परन्तु उक्त व्यापारी फर्म अपनी फर्म का नाम बदलकर या अपने परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर उसी मंडी अथवा अन्य मंडी में लायसेंस प्राप्त कर लेते है, जिससे उनको कालीसूची में दर्ज करने का उद्देश्य विफल हो जाता है।

उपरोक्त के संबंध मे आवश्यक है कि लायसेंस जारी करते समय किसी भी कालीसूची में दर्ज फर्म तथा उससे संबंधित व्यापारियो एवं उनके परिवार के सदस्यों की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि उनको पूरे प्रदेश मे कालीसूची में दर्ज किया जा सके।

अतः आप मंडी के अंतर्गत व्यतिक्रमी, ब्लैक लिस्टेड व्यापारी फर्मो की सूची निम्न प्रारूप में प्रतिमाह (अद्यतन स्थिति की) आंचलिक कार्यालय के माध्यम से मुख्यालय प्रेषित करेगे।

क	व्यापारी फर्म/प्रोपराईटरशिप/पार्टनरशिप/कम्पनी या अन्य संस्था	संबंधित व्यक्तियो के नाम	आधार नम्बर	समग्र आईडी	पैन नम्बर	फर्म/संस्था पैन नम्बर	फर्म/संस्था जीएसटीआईएन नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8

यह सूची एमपी ऑनलाईन पोर्टल व मंडी बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जायेगी जिससे कि ब्लैक लिस्टेड व्यक्तियों व उनके नातेदारो को किसी तरह का नवीन लायसेंस या लायसेंस नवीनीकरण न हो सके।

अतः उपरोक्त निर्देशो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(फैज़ अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक सह–आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/नियमन/ऑनलाइन/476/1366 भोपाल, दिनांक 31/05/2019

प्रतिलिपिः–

(1) अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

(2) संयुक्त/उपसंचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन, बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर/सागर/रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। प्रतिमाह अद्यतन जानकारी संभाग स्तर पर संधारित रखते हुए मुख्यालय प्रेषित की जावे।

(3) चीफ प्रोग्रमर म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। प्रतिमाह प्राप्त होने वाली जानकारी मंडी बोर्ड की वेबसाईट पर स्पष्ट सहज दृष्टिगोचर लिंक से होम पेज पर ही उपलब्ध करावे।

(4) मुख्य कार्यपालन अधिकारी एमपी ऑनलाइन लिमिटेड, ओबी 14 से 17, चौथी मंजिल, डीबी सिटी कारर्पोरेट पार्क, अरेरा हिल्स, भोपाल। आपको इस संबंध मे प्रतिमाह अद्यतन जानकारी प्रेषित की जावेगी। कृपया मंडी बोर्ड के लोक सेवा पोर्टल पर यह जानकारी उपलब्ध करावे एवं व्यतिक्रमी के आधार नम्बर/समग्र आईडी/पैन नम्बर से कोई नई Application Login न हो सके इसका तकनीकी प्रावधान करें।

(5) गार्ड फाईल।

प्रबंध संचालक सह–आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल